भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3204

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

पंपयुक्त भंडारण परियोजनाएं

†3204. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री विवेक ठाकुर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में निर्माण के विभिन्न चरणों में तथा स्वीकृति के विभिन्न चरणों में स्थित पंपयुक्त भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के लिए समय पर पर्यावरणीय और वैधानिक स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) अक्षय ऊर्जा के एकीकरण और पीक मांग के प्रबंधन में पंपयुक्त भंडारण के लिए परिकल्पित भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएसपी के विकास में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्तमान में, देश में 15,870 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 11 पीएसपी निर्माणाधीन हैं **(अनुबंध-I)**। इसके अतिरिक्त, कुल 8,140 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 6 पीएसपी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमत/मूल्यांकित हैं तथा अभी इनका निर्माण कार्य आरंभ किया जाना शेष है **(अनुबंध-II)**, और 640 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 1 पीएसपी सीईए में जांच के अधीन है **(अनुबंध-III)**।

(ख) : ऐसी परियोजनाओं के लिए समयबद्ध पर्यावरणीय एवं सांविधिक स्वीकृति सुगम बनाने हेतु किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़ एंड सीसी) ने दिनांक 18.05.2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, बी2 श्रेणी के अंतर्गत पीएसपी का मूल्यांकन शुरू किया है।

(ii) एमओईएफ़ एंड सीसी ने दिनांक 14.08.2023 को ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी से संबंधित प्रस्तावों के लिए विशिष्ट संदर्भ की शर्तें (टीओआर) जारी की हैं, जिनके अंतर्गत ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी के लिए एक

मौसम (मानसून के अतिरिक्त) का बेसलाइन डेटा एकत्र करना तथा ऑफ-स्ट्रीम ओपन लूप पीएसपी के लिए दो मौसम (मानसून-पूर्व एवं मानसून-पश्चात) का बेसलाइन डेटा एकत्र करना निर्धारित किया गया है।

(iii) एमओईएफ़ एंड सीसी ने दिनांक 20.08.2024 को खनन परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण से संबंधित प्रावधानों का विस्तार, हाइडल/पीएसपी सहित अन्य विकास परियोजनाओं तक कर दिया है।

(iv) एमओईएफ़ एंड सीसी ने दिनांक 10.09.2025 के पत्र के माध्यम से, हाइडल/पीएसपी सहित खनन एवं विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए बोरहोल्स की संख्या बढ़ा दी है।

(v) सीईए ने पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के निरूपण एवं सहमति हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, पीएसपी हेतु डीपीआर की सहमति की समय-सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, पीएसपी के लिए अंतर-राज्यीय पहलुओं की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

(vi) भारत सरकार ने दिनांक 01.08.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना से संबंधित स्कीमों के लिए पूंजीगत व्यय की सीमा को संशोधित कर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसके लिए सीईए की सहमति अपेक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप भंडारण स्कीमों को, पूंजीगत व्यय की मात्रा के निरपेक्ष, सीईए की सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की है।

(ग) : पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) ऑफ-पीक अवधि के दौरान अधिशेष ऊर्जा का भंडारण करके तथा अधिकतम मांग के दौरान विद्युत आपूर्ति करके नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को समर्थन प्रदान करती हैं। ये दीर्घ-अवधि ऊर्जा भंडारण, संतुलन शक्ति तथा आवृत्ति विनियमन, वोल्टेज सहायता एवं ब्लैक स्टार्ट क्षमता जैसी सहायक ग्रिड सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे ग्रिड स्थिरता, विश्वसनीयता तथा उच्चतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रवेश को समर्थन मिलता है।

(घ) : पीएसपी के विकास में अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10.04.2023 को देश में पंप भंडारण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।

(ii) सक्षम अवसंरचना, अर्थात सड़कों/पुलों, रेलवे साइडिंग, रोपवे, संचार अवसंरचना तथा विद्युत गृह से निकटतम पूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन की लागत हेतु बजटीय सहायता।

(iii) विभिन्न हितधारकों के बीच उचित जोखिम-साझाकरण के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित एक पारदर्शी, निष्पक्ष, मानकीकृत खरीद फ्रेमवर्क प्रदान करने हेतु, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 06.02.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पंप भंडारण संयंत्रों से भंडारण क्षमता/भंडारित ऊर्जा की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।

(iv) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 26.06.2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, उन परियोजनाओं के संबंध में, जिनका निर्माण कार्य 30.06.2028 को अथवा उससे पूर्व अवार्ड किया गया है, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से 25 वर्षों की अवधि के लिए पीएसपी हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों में 100% छूट का प्रावधान किया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3204

अनुबंध-I

निर्माणाधीन पीएसपी की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता (एमडबल्यू)	कमीशनिंग के लिए लक्ष्य
1	अप्पर सिलेरु पीएसपी (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	1350	फरवरी 29
2	शारावती पीएसपी (केपीसीएल)	कर्नाटक	2000	मई 32
3	कुंदा पीएसपी (चरण- I, II, और III) (टेनजेडको)	तमिलनाडु	500	फरवरी 27
4	एमपी30 गांधी सागर पीएसपी (ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	मध्य प्रदेश	1920	दिसम्बर 26
5	चित्रवती पीएसपी (अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फोर्टी-टू लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश	500	फरवरी 27
6	भिवपुरी पीएसपी (टाटा पावर कंपनी लिमिटेड)	महाराष्ट्र	1000	फरवरी 29
7	सौंदत्ती पीएसपी (ग्रीनको केए01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	कर्नाटक	1600	दिसम्बर 27
8	भवाली पीएसपी (जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी टू लिमिटेड)	महाराष्ट्र	1500	दिसम्बर 28
9	गांडीकोटा पीएसपी (अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-वन लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश	1000	मार्च 29
10	तराली पीएसपी (अडानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड)	महाराष्ट्र	1500	जून 29
11	सैदोंगर-1 करजात पीएसपी (टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस)	महाराष्ट्र	3000	दिसम्बर 29
		कुल	**15,870**	

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3204

अनुबंध-II

सीईए द्वारा सहमत/मूल्यांकित तथा अभी जिनका निर्माण कार्य आरंभ किया जाना शेष है, पीएसपी की सूची

क्र.सं.	**परियोजना का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**क्षमता (एमडबल्यू)**	सहमति/ मूल्यांकन की तिथि
1	चिचलिक पीएसपी* (अवाडा वाटर बैटरी प्राइवेट लिमिटेड)	उत्तर प्रदेश	1560	08.07.2026
2	पाणे पीएसपी (जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड)	महाराष्ट्र	1500	09.10.2025
3	शिरवाता पीएसपी (टाटा पावर कंपनी लिमिटेड)	महाराष्ट्र	1800	01.09.2025
4	कंधौरा पीएसपी (जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी सिक्स लिमिटेड)	उत्तर प्रदेश	1680	13.06.2025
5	अप्पर इंद्रावती पीएसपी (ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	ओडिशा	600	19.08.2024
6	तुर्गा पीएसपी (पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड)	पश्चिम बंगाल	1000	05.10.2016
		कुल	**8,140**	

* मूल्यांकित

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3204

अनुबंध-III

सीईए में जांच के अधीन पीएसपी की सूची

क्रम सं.	**परियोजना का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**क्षमता (एमडबल्यू)**
1	इंदिरासागर ओंकारेश्वर (एनएचडीसी लिमिटेड)	मध्य प्रदेश	640
